



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032021-226117
CG-DL-E-25032021-226117

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1250]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943

No. 1250]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

का.आ. 1354(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध, त्रिपुरा राज्य के उनाकोटि जिला, दक्षिण त्रिपुरा जिला एवं खोवाई जिला के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे अर्थात्—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43 और धारा 45अ से धारा 45ज तक;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उप धारा (2) से उप धारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83।

[फा. सं. एस-38013/03/2021-एस.एस.।]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th March, 2021

S.O. 1354(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2021, as the date on which the provisions of the said Act, namely,-

- (i) sections 38, 39, 40, 41, 42, 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Unakoti district, South Tripura district and Khowai district, in the State of Tripura.

[F. No. S-38013/03/2021-SS.I]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.